न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 06 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025 / 51

निगरानीकार

कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री दाउ लाल जी सोनी, जाति सोनी, निवासी जूसरी, तहसील मकराना।

बनाम

गैरनिगरानीकार

1. उमाराम पुत्र श्री हरू राम जी, जाति घसवा जाट, निवासी जूसरी, तहसील मकराना।
2. सरपंच ग्राम पंचायत जूसरी, पंचायत समिति मकराना, तहसील मकराना।
3. सचिव ग्राम पंचायत जूसरी, पंचायत समिति मकराना, तहसील मकराना।
4. मूलाराम पुत्र श्री हरू राम जी, जाति घसवा जाट, निवासी जूसरी, तहसील मकराना।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत जूसरी बाबत् पट्टा उमाराम पुत्र हरूराम बिना क्रमांक नम्बर जारी दिनांक 10.01.1989 जारी हुये पट्टा को निरस्त करने बाबत्

—:निर्णय:— दिनांक : 18.02.2026

निगरानीकार की ओर से निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से है:– निगरानीकार के स्वर्गीय पिता श्री दाउ लाल जी सोनी की पैतृक सम्पती खसरा संख्या 107 है जिसके चिपती सीमा पर खसरा संख्या 110 गै.मु. चारागाह अन्य सामान्य कार्य हेतु एवं खसरा संख्या 110 / 2 लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) सड़क की भूमि चिपती सीमा आई हुई है। निगरानीकार के खसरा संख्या 107 की चिपती सीमा पर जो रास्ते के काम आ रही भूमि है उक्त भूमि खसरा नम्बर गैर मुमकिन भूमि खसरा संख्या 110 में कंट कर, जो कटाणी रास्ते पर सड़क है, जो खसरा संख्या 110 / 2 जो सार्वजनिक विभाग पीडब्लूडी के नाम दर्ज हुई उक्त राजस्व गैर मुमकिन व सरकारी भूमि व पर गैर निगरानीकार संख्या 01 व 04 द्वारा निगरानी की भूमि के रास्ते को अवरोध करने की नियत से अनाधिकृत रूप से गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 04 व अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर निगरानीकार के रास्ते को अवरोध किया कर दिया, जिस पर निगरानीकार के स्व. पिता श्री दाउ लाल सोनी द्वारा लम्बे समय से करीब 2017 से 2023 तक लगातार प्रशासनिक अधिकारी व उच्च अधिकारियों को अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा हटाने की शिकायत की गई, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त वर्णित पट्टा की भूमि को अतिक्रमण मानते हुए अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने कार्यवाही की गई। गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 04 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करते समय गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 04 द्वारा अपने बचाव में कभी भी स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज [illegible] उक्त पट्टा दौराने शिकायत की जाँच के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

समय पेश नहीं किया गया, अब निगरानीकार के पिता स्व. श्री दाउ लाल के देहान्त 28.07.2023 को हो जाने के बाद गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 04 द्वारा उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा करने व अवैध निर्माण करने पर बिना क्रमांक का दिनांक 10.01.1989 अंकित किया हुआ पट्टा ग्राम पंचायत जुसरी के द्वारा जारी सुदा विधि विरूद्ध एवं गलत व अवैध पट्टा पेश किया है। गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 04 द्वारा बदनियती से एक पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत जूसरी द्वारा जारी कर लिया जिसका कोई रिकॉर्ड भी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित नहीं किया गया और उक्त पट्टा आनन फानन में गैर कानूनी तरीके से विधि विरूद्ध खसरा संख्या 110 व 110/2 गैर मुमकिन व सार्वजनिक विभाग की भूमि पर आवासीय पट्टा जारी कर लिया है, जिसकी प्रति व रिकॉर्ड ग्राम पंचायत जूसरी में उपलब्ध नहीं है, पट्टा की प्रति प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है जिससे उक्त वर्णित पट्टा निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के पास संधारित नहीं है। जिससे उक्त पट्टा गैर कानूनी व अवैध है, उक्त पट्टा को खारिज किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित पट्टा की भूमि पर दिनांक 10.01.1989 में आवासीय पट्टा जारी कर लिया उक्त खसरे की भूमि दिनांक 30.01.2002 में गैर मुमकिन भूमि से आबादी भूमि ग्राम पंचायत जूसरी के नाम स्वीकृत हुई है। निगरानीकार द्वारा दिनांक 29.07.2024 को सचिव ग्राम पंचायत जूसरी में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निगरानीकार द्वारा दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय ग्राम पंचायत जूसरी में सम्पर्क किया तब उक्त पट्टा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उक्त पट्टे का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होने की बात की गई और आरटीआई के जवाब में उक्त पट्टा की फोटो प्रति निगरानीकार को दे दी गई जिससे स्पष्ट होता है कि फोटो प्रति का मूल पट्टा ग्राम पंचायत के पास मौजूद नहीं था और उक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया था।

अतः निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से पेश कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत, जूसरी द्वारा जारी बिना क्रमांक व मिसल का पट्टा दिनांक 10.01.1989 को निरस्त फरमाये।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/311 दिनांक 08.08.2025 के द्वारा तहसीलदार मकराना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मकराना के पत्रांक कोर्ट/2025/868 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मकराना ने अपनी रिपोर्ट के साथ ग्राम विकास अधिकारी जूसरी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.11.2025 संलग्न कर स्पष्ट किया है कि [illegible] से जारी पट्टा ग्राम पंचायत जूसरी की आबादी भूमि में स्थित है। उक्त [illegible] का [illegible] पंचायत में पट्टा बुक, पट्टा मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर आदि [illegible] नहीं होना [illegible]या है। चूंकि विषयक प्रकरण में पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है जिससे प्रकरण में जाँच सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत जूसरी में उमाराम पुत्र हरू राम के नाम से बिना क्रमांक नम्बर व दिनांक 10.01.1989 को जारी पट्टे से सम्बन्धित कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से उक्त पट्टा संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। उक्त पट्टा संदेहास्प्रद होने के कारण ग्राम पंचायत जूसरी द्वारा जारी बिना क्रमांक व दिनांक 10.01.1989 को जारी पट्टे को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **18.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

18.02.2026
(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested